न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प0न0 — 131/2025

नवान : —

1. राजाराम पुत्र पुरखाराम जाति सुथार निवासी स0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
110, 111 मय सपठित धारा 128 एलआरएक्ट
एमके गौड़ अधिवक्ता प्रार्थी
राजपैरोकार 30/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक नं0 2 जीजीआर पटवार हल्का राठीखेडा के खाता सं0 86/71 में कुल 0.8890 है० आराजी प्रार्थी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। 2 जीजीआर के खाता सं0 86 / 71 की कुल 0.8890 है0 कृषि भूमि खातेदारी कृषि भूमि है तथा उपरोक्त कृषि भूमि की पैमाईश के आदेश पटवारी हल्का को दिये गये तथा पटवारी हल्का राठीखेड़ा द्वारा कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) टिब्बी के आदेश क्रमांक 2025/1120/5 के आदेश अनुसार दिनांक 01.07.2025 को मौजूद स्थाई पत्थर निशान 213/290, 214/290 को आधार मानते हुए पडौसियान की उपस्थिति मौतबिरान पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान करवाया गया है तथा उपस्थित मौतबिरान के समक्ष फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा प्रार्थी को निशान दे दिये गये । पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशानदेही के अनुसार प्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज चला आ रहा है । प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि पडौसीयान के साथ किसी प्रकार का विवाद आदि नही रहे । प्रार्थी की कृषि भूमि चक नं० 2 जीजीआर के प0न0 215 / 290 मु0 3 किलानं0 18/1/.185, 19, 22, 23 की भूमि जिसके पटवारी हल्का द्वारा निशान दिये गये तथा पर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर काबिज होना चाहता है परन्तु पत्थरगढ़ी के निशान नही होने के कारण प्रार्थी को परेशांनी का सामना करना पड़ता है तथा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवा पाने के अधिकारी है। यही प्रार्थना पत्र है । प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई मर्तबा कहा कि वो प्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि पर पटवारी हल्का पैमाईश के निशान दिये गये एंव उपरोक्त निशान पर एंव प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर पत्थरगढ़ी करवा देवे तो जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तक तो आजकल — 2 करता रहा आखिर मुकाम तहसील परिसर टिब्बी में कतई इन्कार हो गया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है । प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्यायशुल्क पर तहरीर कर पेश है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है तहसील टिंब्बी के चक नं० 2 जीजीआर के प0न0 215 / 290 मु0 3 किलानं0 18/1/.185, 19, 22, 23/0.198 कुल 0.889है0 की प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश अप्रार्थी सं0 1 को दिये जावे ।

प्रार्थना पत्र होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चरण संख्या 3 रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है । तथा कार्यालय हाजा भू.अ. टिब्बी के आदेश क्रमाक 2025 / 1120/5 के आदेश अनुसार हल्का पटवार द्वारा नियमानुसार सीमाज्ञान कर प्रार्थी को निशान दे दिये गये । प्रार्थना पत्र का निस्तारण नियमानुसार किया जाता है तो कोई राजहित निहित नही है । जवाब शामिल मिसल किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट आदेश क्रमांक

Scanned with CamScanner

2025/1120/5 दिनांक 01.07.2025 के अनुसार उक्त आराजी की पैमाईस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर चक नं० 2 जीजीआर के प0न0 215 / 290 मु0 3 किला नं0 18/1/.185, 19, 22, 23/0.198 कुल 0.889है0 भूमि की पैमाईश कर हल्का पटवारी व अन्य मौतबिरान ने अपने हस्ताक्षर कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई चित्रप्रति दैनिक डायरी संलग्न पत्रावली है। प्रार्थी द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी हेतु निवेदन किया गया। जवाब पैरोकार राज के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में हुआ है जिसके स्थाई समाधान हेतु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अप्रार्थी सं0 1 को कोई ऐतराज नहीं है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसका नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन होने का कोई अंदेशा नहीं है। तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थी का प्रर्थाना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 110–111 एलआरएक्ट सपठित धारा 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार टिब्बी को आदेश दिये जाते है कि चक नं० 2 जीजीआर के प0न0 215 / 290 मु0 3 किलानं0 18/1/.185, 19, 22, 23/0.198 कुल 0.889है0 भूमि में अगर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर संबंधित पटवारी व कानूनगो–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर विधिवित् पत्थरगढी व पैमाईश करावें। पत्थरगढ़ी व पैमाईश की उक्त प्रक्रिया के दौरान उक्त मु0न0/किला न0 में दर्ज प्रार्थी एवं अन्य प्रभावित काश्तकार/पड़ौसी काश्तकारों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में पत्थरगढी व पैमाईश किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/7/25 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner